अध्याय 6

गारंटियाँ

अध्याय 6 गारंटियाँ

केंद्र सरकार मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक लाभ वाली सरकारी संस्थाओं द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं या गतिविधियों की व्यवहार्यता में सुधार के लिए, उधार की लागत को कम करने के साथ-साथ उन प्रकरणों में आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु गारंटी देती है जहाँ सार्वभौम गारंटी द्विपक्षीय/ बहुपक्षी सहायता के लिए पूर्व शर्त निर्धारित है। जबकि गारंटियां आकस्मिक देयतायें होने के कारण ऋण का भाग नहीं होती हैं लेकिन चूक की स्थिति में वे सरकार की देयता स्थिति को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। सरकार की गारंटी को केन्द्र सरकार के वित्त लेखों के विवरण 4 (संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटी) में शामिल किया गया है। संघ सरकार के वित्त लेखों के विवरण 4 (संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां) में सरकार की गारंटी शामिल है।

6.1 गारंटी लक्ष्य

एफ आर बी एम अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम यह निर्धारित करते हैं कि केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी ऋण के संबंध में सी एफ आई की गारंटियों पर सकल घरेलू उत्पाद के डेढ़ *प्रतिशत* से अधिक अतिरिक्त गारंटियां नहीं देगी।

6.2 गारंटी संवर्धन की प्रवृति

आकृति 6.1 वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* के रूप में वित्तीय वर्ष में, सरकार द्वारा दी गई गारंटियों में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया गारंटी की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संघ सरकार के वित्त खातों के विवरण 4 (संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटी) के अनुसार ₹4,66,881 करोड़ थी, जो कि जी डी पी का 2.32% थी।

आकृति 6.1: गारंटियों में संवर्धन

(विवरण हेतु अनुलग्नक 6.1 का संदर्भ लें)

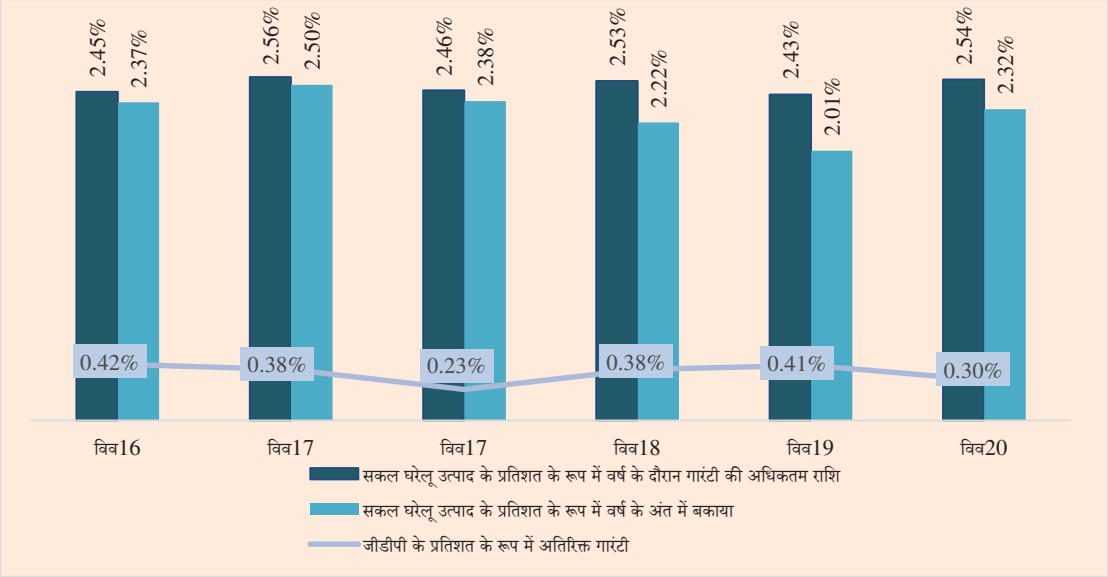

स्रोत: यू जी एफ ए से प्रत्याभूति के आंकड़े, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जीडीपी के आंकड़े अद्यतन किए गए हैं।

आकृति 6.1 दर्शाता है कि पिछले तीन वर्षों में वित्तीय वर्ष में गारंटियों में संवर्धन सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 *प्रतिशत* के निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा है।

6.3 दर्शाई गई गारंटियों में असंगति

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आर बी आई और अन्य वित्तीय संस्थानों को दी गई अतिरिक्त गारंटियां शामिल नहीं थी।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में, अतिरिक्त गारंटी बढ़कर ₹60,907 करोड़ अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 0.30 *प्रतिशत* हो गयीं। यद्धपि, इस आंकड़े ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (ए आई ए एच एल) द्वारा एकत्र की गई भारत सरकार की ₹14,985 करोड़ की गारंटी राशि एवं भारत सरकार की गारंटी पर एफ सी आई द्वारा एकत्र ₹5,262.3 करोड़ सम्मिलित नहीं है, जो यू जी एफ ए में नहीं दर्शाये गये थे। यदि इन्हें सम्मिलित किया जाता है तो अतिरिक्त गारंटियां वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.40 *प्रतिशत* होगी।

मंत्रालय ने इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (फरवरी 2022)

6.4 सुझाव

सिफारिश 6क - वित्त मंत्रालय दी गई गारंटियां और वित्तीय संकेतकों पर उनके प्रभाव के लिए एक पारदर्शी प्रकटीकरण प्रणाली विकसित कर सकता है।